<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-15/2021/जिला टोंक

1. गौतम पुत्र कमला(माता)
2. रामसिंह पुत्र कमला(माता)
3. किशन पुत्र देव्या

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कुरेड़ा तहसील पीपलु, जिला टोंक।

--अपीलांटस

बनाम

1. छीतर पुत्र लाला, जाति मीणा निवासी ग्राम कुरेड़ा, तहसील पीपलु, जिला टोंक।
2. भू–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोंक।

––रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विदवान जिला कलक्टर टोंक दिनांक 08.02.2021 जो प्रकरण संख्या 04/2013 बउनवानी ''छीतर बनाम गौतम'' में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0ः–श्री हेमराज गुप्ता(अपीलांट अभि0)
श्री आर0एस0राणावत (रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–31.10.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुरेड़ी तहसील टोंक हाल तहसील पीपलूं में वर्तमान अपीलांट के पिता व कमला के पति गोपाल पुत्र पांचू मीणा को खसरा नम्बर 1236 रकबा 16 बिस्वा भूमि दिनांक 07.06.1989 को 450 रूपये प्रति बीघा के हिसाब से कीमतन आवंटन की गई थी। वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के अनुसार उक्त आवंटन विधि के विरूद्ध किया गया था तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। न ही उसका आवंटित भूमि पर कब्जा रहा है। भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना उदघोषणा जारी किये बिना आवंटन आदेश जारी किया गया था। रेस्पो0 1 के अनुसार उसने उक्त भूमि से अपने खेतों की भूमि से मिला रखा है तथा उक्त खसरा नम्बर भूमि पर उन्हीं का कब्जा है। इसी भूमि में होकर खसरा नम्बर 35 में सार्वजनिक रास्ता भी बना हुआ है। इसलिए भूमि आवंटन के समक्ष खाली नहीं फिर भी कमिटी द्वारा आवंटन किया गया। जो निरस्त किया जाना चाहिए इन तथ्यों को लिखते हुए रेस्पो0 1 द्वारा जिला कलक्टर टोंक में आवंटन निरस्तीकरण हेतु नियम 14(4) में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 08.02.2021 को प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

निम्नानुसार आदेश पारित किया गया। ''**आवंटित भूमि में से रास्ते के मध्य से 50 गज की परिधि की भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये।**''

उक्तानुसार निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निम्न आधार पर अपील की गई–

1. भूमि की कीमत लेकर किये गये आवंटन को नियम 14(4) के तहत चुनोती नहीं दी जा सकती है।

2. रेस्पो0 1 द्वारा उक्त आवंटन 25 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लगाया था।

3. बिना साक्ष्य न्यायालय द्वारा आवंटित भूमि के कुछ क्षेत्र को सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में माना जाना गलत है।

4. अपीलांट को खसरा नम्बर 1236 में अंकित रास्ते की भूमि को छोड़कर ही कमिटी द्वारा सही रूप से आवंटन किया गया था।

5. रेस्पो0 एकतरफ आवंटित भूमि को अपने खेत में मिलाना बता रहा है तथा दूसरी तरफ सार्वजनिक रास्ते को बताता है जो विरोधाभाषी है।

अंत में निवेदन किया है कि निर्णय के आक्षेपित भाग ''**आवंटित भूमि में से रास्ते के मध्य से 50 गज की परिधि की भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये।**'' की हद तक रेस्पो0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया जायें तथा अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 07.06.1989 को पूर्णतः बहाल किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं एक अन्य प्रार्थना पत्र रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल 17,32 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया था।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि वे नियम 14(4) के प्रकरण में कलक्टर टोंक के विरूद्ध यहां उपस्थित हुए है। खसरा नम्बर 1236 का रकबा 16 बिस्वा है। कमाण्ड भूमि है तथा किमतन आवंटन दिनांक 07.06.1989 को गोपाल पुत्र पांचू के पक्ष में खातेदारी दी गई थी। रेस्पो0 द्वारा नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उसने यह कहा था कि अपीलांट पक्ष द्वारा शर्तों की पालना नहीं कर[illegible]लांट का कब्जा नहीं होने तथा रेस्पो0 स्वयं का कब्जा होना बताया था तथा [illegible] बताया कि रेस्पो0 के द्वारा आवंटित खसरा को अपने खेत में मिला रखा है तथा यह कहा कि आवंटन रास्ते की वजह से नहीं किया जाना चाहिए। मगर हम रास्ते की भूमि को छोड़कर ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन किया गया था तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष आवंटन को उचित माना है।

वकील रेस्पो0 ने बताया कि मूल आवंटी गोपाल है तथा विरासत सिर्फ कमला के नाम ही खोली गई है। वर्तमान अपीलांट गोपाल/कमला के वारिस नहीं है। हम अलीनगर में रहते है तथा कुरेड़ी ग्राम हमारे गांव से जुड़ा हुआ है। हमारे खेत और अपीलांट के खेत जुड़े हुए है। वहां रास्ता है। रास्ते हेतु कोई भूमि शेष नहीं है और पूरा रकबा आवंटित किया गया है। अनियमित आवंटन, कमाण्ड एरिया नहीं है। खसरा परिवर्तनशील हमारे नाम पर है इन्हें कभी कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। स्ट्रीट ऑफ लैण्ड होने से हमारी पात्रता है। मुख्य विवाद रास्ते का है। रास्ते पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। तहसीलदार के मौका रिपोर्ट में हमारा कब्जा बताया है। अंत में भी रिजोइंडर में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि हम जिला कलक्टर के यहां भी पक्षकार थे अतः वारिस बाबत आक्षेप में कोई दम नहीं है तथा नियम 14(4) का प्रकरण कमाण्ड एरिया में लागू नहीं होता है।

वकील अपीलांट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये–

1. आरआरटी 2016(2) पेज 769–आवंटन के 24 वर्ष पश्चात चुनौति दी गई है जो न्योचित नहीं है।

2. आरआरटी 2021(2) आरआरटी पेज 835–आवंटन नियम 14(4) के तहत केवल आज कपट एवं मिथ्याव्यपदेश होने पर ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में कपट एवं मिथ्याव्यपदेशन साबित नहीं है।

3. 2014(2) आरआरटी पेज1343–आवंटित आराजी सार्वजनिक रास्ते की आराजी होना किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं है तो आवंटन रद्द नहीं हो सकता है।

4. 2010(1) आरआरटी पेज 157–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कल्पना एवं कयासों पर आधारित है कल्पना एवं कयासों के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17,32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। अपीलांट प्रार्थी के अनुसार आवंटन आदेश दिनांक 07.06.1989 की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी। अभी उक्त आदेश की फोटोप्रति प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 07.06.1989 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रमाणित प्रति हेतु प्रयास किया जा रहा है। रिकोर्ड [illegible] है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से [illegible] छूट प्रदान की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2021 का है तथा न्यायालय में अपील दिनांक 01.03.2021 को रीडर द्वारा पृष्ठांकित होना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रस्तुत अपील में मुख्य विवाद का विषय यह है कि क्या आवंटित भूमि में कोई रास्ता गुजर रहा है अथवा नहीं तथा इसका आवंटन आदेश पर क्या प्रभाव होगा। रेस्पो0 1 की भूमियां अलीनगर में स्थित है तथा अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य ग्राम कुरेड़ी में स्थित है। अपीलांट को आवंटित भूमि एवं रेस्पों0 की खातेदारी की भूमि दो अलग–अलग ग्रामों में होकर दोनों गांवों की सीमा पर स्थित है तथा आपस में जुड़ा हुआ होना बताया गया है। यह सही है कि विवादित खसरा नम्बर पर संवत 2041, 2042, 2043 और संवत 2047 में ग्राम कुरेड़ी की पी–14 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से पता लगता है कि उक्त खसरा नम्बर पर संवत 2047 में सीयूदान, रामाजन्दा पिता जंगलीया, छित्तर पुत्र लाला, मडपा पुत्र घासी मीणा द्वारा 16 बिस्वा क्षेत्र में पूरे खसरा नम्बर में गेहूं की फसल काश्त की। आवंटी को आवंटन कमिटी द्वारा दिनांक 07.06.1989 को किया गया। वर्तमान में संवत 2079 चल रहा है। आवंटी को आवंटन सन् 1989 में (संवत 2046 में) होना दिखाई पड़ता है। मगर रबी संवत 2047 में अन्य अतिक्रमियों के साथ रेस्पो0 1 में विवादित भूमि पर फसल काश्त करता है। अपीलांट को भूमि कमिटी द्वारा आवंटित की गई है। खसरा गिरदावरी से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर संवत 2047 में भी आवंटन के एक वर्ष बाद अन्य लोगों द्वारा काश्त की गई थी। इसके बाद का कोई राजस्व रिकोर्ड (पी–14) प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह पता चला है कि वे संवत 2047 के बाद कभी भी उक्त खसरा नम्बर पर काबिज रहे है। संवत 2077 में उक्त भूमि नाबालिग गौत्तम पुत्र कमला संरक्षक, सरपरस्त किशन पुत्र देव्या हिस्सा आधा तथा नाबालिग रामसिंह पुत्र कमला संरक्षक, सरपरस्त किशन पुत्र देव्या हिस्सा आधा जाति मीणा साकिन्दे गैर खातेदार नामातंरण दिनांक 07.06.1989 दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज संवत 2060–63 के मुताबिक अपीलांट द्वारा(कमला बेवा गोपाल मीणा) फसल काश्त करना पाया जाता है तथा संवत 2068 में वर्तमान अपीलांट द्वारा फसल काश्त करना दर्ज किया गया है। स्पष्ट है कि रेस्पो0 1 मौके पर काबिज नहीं है। अपितु अपीलांट 1 व 2 द्वारा काश्त होना पाया जाता है।

जहां तक आवंटित खसरा नम्बर में रास्ते का विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत नक्शाट्रेस द्वारा पटवारी कुरेड़ा दिनांक 02.01.2013 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम कुरेड़ी में स्थित खसरा नम्बर 1236 के कुरेड़ी की तरफ वाले हिस्से में डॉटेड लाईन खिचीं हुई है। रेस्पों0 नम्बर 1 के खेत अन्य ग्राम अलीनगर में है। रेस्पो0 के खेत खसरा नम्बर 34,36 और 37 है। इसके खसरा नम्बर 34 और 36 के मध्य पुख्ता रास्ता गुजर रहा है। ग्राम कुरेड़ी के उक्त विवादी खसरा नम्बर 1236 में कोई पुख्ता रास्ता दर्ज नहीं है। खसरा नम्बर 1236 ग्राम कुरेड़ी की किश्म रास्ता न [illegible] है जो जमाबंदी संवत 2068–71 ग्राम कुरेड़ी स्थित है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

2014(2) पेज 1343 वर्तमान प्रकरण के सही रूप से चस्पा होती है। खसरा नम्बर 1236 ग्राम कुरेड़ी का रकबा 16 बिस्वा है तथा उक्त 16 बिस्वा भूमि ही गोपाल को आवंटित की गई थी। उक्त भूमि गोपाल द्वारा किमतन आवंटित की गई थी। खसरा नम्बर 1236 में कोई पुख्ता रास्ता नहीं है। क्योकिं पुख्ता रास्ता होने पर उसको अलग नम्बर दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है। जो उचित नहीं है। इस बाबत वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2010(1) पेज 157 सही रूप से वर्तमान प्रकरण पर चस्पा होती है। अपीलांट को भूमि आवंटन 1989 में किया गया था। रेस्पों0 द्वारा यह सिद्ध नही किया गया है कि किस प्रकार कोई धोखा करके मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पर आवंटन अपने पक्ष में प्राप्त किया गया है यह नहीं बताया है। आवंटन को लगभग 24 साल बीत चुके है ऐसी अवस्था में आरआरटी 2021(2) पेज 833 तथा आरआरटी 2016(2) पेज 769 वर्तमान प्रकरण में उचित रूप से चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन को उचित माना है। जब आवंटन उचित है तो किस प्रकार रास्ते संबंधित बात का निर्णय में अंकन किया गया है। यह उचित नहीं जान पड़ता है। पुरा खसरा नम्बर 1236 आवंटी को आवंटित किया जाता है तथा उसके द्वारा राशि भी जमा करवायी गई है। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत रसीद क्रमांक 002261 से स्पष्ट है कि गोपाल द्वारा 385 रूपये जमा करवाये गये। ऐसी दशा में आवंटन किमतन किया गया था तथा आवंटन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही माना गया तो अब रास्ते की वजह से भूमि को कम किया जाना उचित नहीं है। रेस्पो0 चाहे तो धारा 251ए एल0आर0एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता नये नियमों में प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश **''आवंटित भूमि में से रास्ते के मध्य से 50 गज की परिधि की भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये''** को की हद तक निरस्त किया जाने का आदेश उचित प्रतित होता है। जिला कलक्टर टोंक का शेष निर्णय यथावत रहेगा। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर टोंक दिनांक 08.02.2021 प्रकरण संख्या 04/2013 में दिये गये आदेश **''आवंटित भूमि में से रास्ते के मध्य से 50 गज की परिधि की भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये''** को की हद तक निरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। जिला कलक्टर टोंक का शेष निर्णय यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर